

F.No. A.24012/3/2023-Estt.I/
भारत सरकार /Government of India
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग/DoWR, RD & GR
केन्द्रीय जल आयोग/Central Water Commission
स्थापना एक अनुभाग /Establishment-I Section

3rd Floor (S), Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Dated : 25st February, 2025.

कार्यालया आदेश / OFFICE ORDER

केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत निम्नलिखित JAG अधिकारियों को निम्नानुसार छुट्टी स्वीकृत की जाती है :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमति | पद नाम | छुट्टी का प्रकार | छुट्टी की अवधि | | कुल दिन | 25.02.2025 तक बकाया छुट्टी |
|----------|----------------------------------|------------|------------------|----------------|------------|---------|----------------------------|
| | | | | से | तक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Shri M.W Paunikar | Director | EL | 27.06.2017 | 04.07.2017 | 8 | EL-300+2 HPL-340 |
| | | | EL | 26.09.2017 | 02.10.2017 | 7 | |
| | | | EL | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 4 | |
| | | | EL | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 3 | |
| | | | EL | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 12 | |
| | | | EL | 25.09.2018 | 28.09.2018 | 4 | |
| | | | EL | 31.12.2018 | 04.01.2019 | 5 | |
| | | | EL | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 4 | |
| | | | EL | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 3 | |
| | | | EL | 26.12.2019 | 03.01.2020 | 9 | |
| | | | EL | 02.03.2020 | 06.03.2020 | 5 | |
| | | | EL | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 5 | |
| | | | EL | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 5 | |
| | | | EL | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 4 | |
| | | | EL | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 3 | |
| | | | EL | 16.12.2022 | | 1 | |
| | | | EL | 28.12.2022 | 03.01.2023 | 7 | |
| | | | EL | 23.02.2023 | 24.02.2023 | 2 | |
| | | | EL | 29.05.2023 | | 1 | |
| | | | EL | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 5 | |
| EL | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 5 | | | | |
| EL | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 9 | | | | |
| EL | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 5 | | | | |
| EL | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 4 | | | | |
| EL | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 5 | | | | |
| EL | 21.01.2025 | 31.01.2025 | 11 | | | | |


EL= Earned Leave

CL (MC) = Commuted Leave on medical grounds

HPL = Half Pay Leave

(Signature)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने उसी पद पर बने रहते जिस पद पर वह छुट्टी प्रारम्भ कर रहे हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों ने जिस पद पर छुट्टी प्रारम्भ की थी उसी पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया है।



(विवेक कुमार)

अनुभाग अधिकारी (स्थापना 1)

प्रति :-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. अनुभाग अधिकारी, लेखा तीन अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. संबन्धित अधिकारी ।